प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 08.10.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 31.10.2025

दाण्डिक अपील क्रमांक 568/2022

प्रेम निर्मलकर पिता गोपी लाल निर्मलकर, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी पंचशील नगर, देवदास किराना स्टोर के सामने, दुर्ग, थाना दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

...अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना दुर्ग, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

...प्रत्यर्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनमोल शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से : सुश्री प्रभा शर्मा, अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी)

सीएवी निर्णय

1. यह दाण्डिक अपील, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट/विशेष न्यायालय–पॉक्सो अधिनियम, 2012, दुर्ग (छ.ग.) द्वारा विशेष सत्र प्रकरण (पॉक्सो) क्रमांक 104/2018 में दिनांक 18.8.2021 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए निम्नानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है:—

क्र.	**धारा के अधीन दोषसिद्धि**	**कारावास का दण्ड**	**अर्थदण्ड**	**व्यतिक्रम शर्त**
01	भारतीय दण्ड संहिता 363	3 वर्ष का कठोर कारावास	रु.1,000/–	01 माह का साधारण कारावास
02	भारतीय दण्ड संहिता 366	3 वर्ष का कठोर कारावास	रु.1,000/–	01 माह का साधारण कारावास
03	भारतीय दण्ड संहिता 376	10 वर्ष का कठोर कारावास	रु.1,000/–	01 माह का साधारण कारावास
04	पोक्सो अधिनियम 3/4	चूंकि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दंडित किया गया है, जो कि पॉक्सो		

		अधिनियम की धारा 4 की तुलना में दंड की मात्रा में अधिक है, अतः पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के दृष्टिगत, उसे इस धारा के अधीन पृथक से दंडित नहीं किया गया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनांक 17.09.2018 को सुबह लगभग 7:45 बजे, शिकायतकर्ता/पीड़िता की माता ने थाना कोतवाली, दुर्ग में सूचना दी कि उनकी अवयस्क पुत्री, आयु लगभग 16 वर्ष, रात्रि करीब 1:00 बजे बिना किसी को बताए घर से कहीं चली गई है। जिसके आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई और अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/12) भी पंजीबद्ध की गई। उसी दिन, शिकायतकर्ता ने पुलिस को प्रदर्श पी/11 के माध्यम से सूचित किया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, स्वयं पीड़िता द्वारा दी गई जानकारी पर उन्होंने पीड़िता को कलेक्ट्रेट गार्डन, दुर्ग के परिसर से बरामद कर लिया है। इसके पश्चात, पीड़िता ने उन्हें बताया कि अपीलार्थी/अभियुक्त उसे बहला–फुसलाकर ले गया था और उसकी सम्मति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस द्वारा बरामदगी पंचनामा (प्रदर्श पी/1) तैयार किया गया, संबंधित पटवारी द्वारा घटना स्थल का नक़्शा (प्रदर्श पी/4) बनाया गया, और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़िता का कथन अभिलिखित किया गया। साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए। डॉ. रिम्पल भाटिया (अ.सा.–9) द्वारा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/19) दी गई, जिसमें उन्होंने पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं पाई और अभिमत दिया कि हाइमन पुराना फटा हुआ था, जिसके आधार पर उन्होंने यह राय व्यक्त किया कि पीड़िता के साथ लैंगिक संबंध बनाने के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दी जा सकती। उन्होंने दो योनि स्लाइड सुरक्षित कर रासायनिक परीक्षण हेतु संबंधित आरक्षक को सौंप दीं। पीड़िता का अंतःवस्त्र भी जब्ती पत्रक प्रदर्श पी/7 के माध्यम से जब्त किया गया। पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र, उसकी कक्षा–1 और कक्षा–8 की प्रगति पत्रक, जिसमें उसकी जन्म तिथि 21.07.2002 उल्लेखित थी, प्रदर्श पी/8 के माध्यम से जब्त की गई। शिवम पब्लिक स्कूल से पीड़िता का दाखिल–खारिज पंजी भी जब्ती पत्रक प्रदर्श पी/22 के माध्यम से जब्त किया गया। संबंधित आरक्षक से पीड़िता की योनि स्लाइड प्रदर्श पी/27 के माध्यम से और अपीलार्थी का अंतःवस्त्र प्रदर्श पी/29 के माध्यम से जब्त किया गया। अपीलार्थी का भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। अंततः, अपीलार्थी को दिनांक 19.09.2018 को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी/33 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अपराधों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, दुर्ग के समक्ष अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विशेष न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा

3/4 के अधीन आरोप विरचित किए और अपीलार्थी को समझाए, जिसने आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक करते हुए विचारण चाहा।

4. अपीलार्थी के दोष को साबित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 12 साक्षियों का परीक्षण कराया और 36 दस्तावेज प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत किए। दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध प्रतीत समस्त अभियोगात्मक परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक किया। अपीलार्थी की ओर से किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. विद्वान विशेष न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, दिनांक 18.8.2021 को पारित अपने निर्णय द्वारा, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए, अपीलार्थी/अभियुक्त को इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया है, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आक्षेपित निर्णय द्वारा, विद्वान विशेष न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि घटना की तिथि अर्थात् दिनाँक 17.9.2018 को पीड़िता अवयस्क अर्थात (16 वर्ष 01 माह और 17 दिन की)थी, किंतु विद्वान विशेष न्यायालय ने यह निष्कर्ष पीड़िता के दाखिल–खारिज पंजी के आधार पर निकाला है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 31.7.2002 दर्ज है। जबकि, पीड़िता या उसके माता–पिता द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि विद्यालय में प्रवेश के समय उक्त जन्म तिथि किसने दर्ज करवाई थी। अतः, दाखिल–खारिज पंजी में उल्लेखित जन्म तिथि का अवलंब नहीं लिया जा सकता। वे आगे यह तर्क करते है कि विद्वान विशेष न्यायालय ने पीड़िता के जन्म प्रमाण पत्र पर भी विचार किया है, परंतु वह एक छायाप्रति है और अभियोजन द्वारा पीड़िता का मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उस छायाप्रति को साबित नहीं किया गया है। चूंकि वह जन्म प्रमाण पत्र केवल एक छायाप्रति है, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों के आधार पर उसका अवलंब लेना पूर्णतया दोषपूर्ण है; क्योंकि उक्त प्रावधान केवल यह प्रावधानित करता है कि शासकीय अभिलेख में की गई प्रविष्टि, सार्वजनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कर्तव्य निर्वहन के दौरान की गई प्रविष्टि की सुसंगता से संबंधित है, किंतु उस प्रावधान के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अतः, विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा घटना के दिन पीड़िता को अवयस्क ठहराने का निष्कर्ष दोषपूर्ण और अवैध है, इसलिए यह अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, और पीड़िता ने स्वयं अपने अभिसाक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार किया है। पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/19) में कोई बाह्य या आंतरिक चोट नहीं पाई गई है। बलात्संग के अपराध के आरोप का पीड़िता के माता–पिता ने समर्थन नहीं किया है। वे आगे यह तर्क करते हैं कि पीड़िता स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा और सम्मति से रात को अपीलार्थी के साथ गई थी। अतः, विशेष न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बलात्संग के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपराध के लिए दोषी ठहराना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रावधानों के विरुद्ध भी है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अपील स्वीकार की जाए और आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हुए अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आक्षेपित निर्णय साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित है, अतः अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के साथ–साथ आक्षेपित निर्णय का परिशीलन किया है।

9. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी और विद्वान विशेष न्यायालय ने घटना के दिन पीड़िता की आयु 16 वर्ष 01 माह और 17 दिन आकलित की थी। इस न्यायालय के समक्ष प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित उक्त निष्कर्ष वैध साक्ष्य पर आधारित है या नहीं।

10. पीड़िता (अ.सा.–1) ने स्वयं अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसकी जन्म तिथि 31.7.2002 है। अभियोजन साक्षी अ.सा.–2 पीड़िता की चाची है, अ.सा.–3 पीड़िता की माता है, अ.सा.–4 पीड़िता का चाचा है और अ.सा.–5 पीड़िता का पिता है। पीड़िता को छोड़कर, उसके उक्त नातेदारों में से किसी ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह नहीं बताया कि पीड़िता की जन्म तिथि क्या है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. पीड़िता की माता (अ.सा.–3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसे पीड़िता की जन्म तिथि याद नहीं थी। जब्ती पत्रक प्रदर्श पी/8 के माध्यम से, शिवम पब्लिक स्कूल, बैजनाथपारा, दुर्ग द्वारा जारी पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र, उसकी कक्षा–1 और कक्षा–8 की प्रगति पत्रक पीड़िता की माता से जब्त की गई थी। तत्पश्चात वे दस्तावेज प्रदर्श पी/9 के माध्यम से उसे सुपुर्दनामा पर सौंप दिए गए थे। परंतु उसने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि उक्त दस्तावेज उससे जब्त किए गए थे या नहीं। इस प्रकार, अभियोजन द्वारा पीड़िता की माता का अभिसाक्ष्य दर्ज करते समय उनसे इन दस्तावेजों को मंगाकर इन्हें साबित नहीं किया गया है। अतः, प्रदर्श पी/8 में उल्लेखित उक्त दस्तावेजों की जब्ती को साबित नहीं माना जा सकता।

12. प्रदर्श पी/24 सी, शिवम पब्लिक स्कूल, बैजनाथपारा, दुर्ग के दाखिल–खारिज पंजी की छायाप्रति है जो पीड़िता से संबंधित है। यह दर्शाती है कि दाखिल–खारिज पंजी में पीड़िता की जन्म तिथि 31.7.2002 अंकित है और उसे उक्त विद्यालय में कक्षा–1 में प्रवेश दिया गया था। वह दस्तावेज राम नारायण (अ.सा.–10) से जब्त किया गया था, जो उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, परंतु प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की कि पीड़िता को उस विद्यालय में किसने भर्ती कराया था। यद्यपि उसने कथन किया है कि पीड़िता की जन्म तिथि उसके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार दाखिल–खारिज पंजी में दर्ज की गई थी, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह नहीं जानता कि वह जन्म

प्रमाण पत्र किसने तैयार किया था। वह जन्म प्रमाण पत्र न तो इस साक्षी द्वारा और न ही पीड़िता के माता–पिता द्वारा साबित किया गया है।

13. पीड़िता की माता (अ.सा.–3) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका 5 में स्वीकार किया है कि उसका विवाह अभिसाक्ष्य की तिथि अर्थात् 09.03.2020 से 22–23 वर्ष पूर्व हुआ था। उसने आगे बताया कि विवाह के एक वर्ष बाद उसका पुत्र ईश्वर पैदा हुआ और उसके जन्म के एक वर्ष बाद पीड़िता पैदा हुई। पीड़िता के पिता (अ.सा.–5) ने भी स्वीकार किया है कि उनके संतानों (अर्थात ईश्वर और पीड़िता) के बीच आयु का अंतर 1–2 वर्ष है। यदि इस तथ्य को स्वीकार किया जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका विवाह वर्ष 1998–99 में हुआ था, उनका प्रथम संतान ईश्वर वर्ष 1999–2000 में पैदा हुआ था और द्वितीय संतान, अर्थात् पीड़िता, वर्ष 2000–2001 में पैदा हुई थी। वर्तमान प्रकरण की घटना दिनाँक 17.09.2018 को हुई थी, इसलिए इस आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता कि घटना के दिन पीड़िता अवयस्क थी। चूंकि अभियोजन द्वारा या पीड़िता के माता–पिता के अभिसाक्ष्य से पीड़िता की वास्तविक जन्म तिथि साबित नहीं की गई है, और उक्त तथ्य को साबित करने के लिए किशोर न्याय (बालकों का देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के अधीन प्रावधानित कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा अभियोजन द्वारा केवल दाखिल–खारिज पंजी ही साबित किया गया है,किंतु कथित जन्म तिथि 31.7.2002 किसने दर्ज करवाई, यह अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा केवल दाखिल–खारिज पंजी का अवलंब लेते हुए अभिलिखित यह निष्कर्ष कि घटना के समय पीड़िता अवयस्क थी, संधारणीय नहीं पाया जाता है। अतः,यह अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जहाँ तक पीड़िता के लैंगिक शोषण और व्यपहरण के आरोप का संबंध है, पीड़िता (अ.सा.–1) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि घटना से पूर्व उसकी अपीलार्थी के साथ मित्रता थी, इसलिए रात करीब 1:00 बजे उसके द्वारा बुलाए जाने पर वह अपीलार्थी के साथ दुर्ग स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के गार्डन में गई थी। उसने आगे कथन किया कि वहाँ अपीलार्थी ने उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए। उसने यह भी कथन किया कि सुबह लगभग 5:00 बजे अपीलार्थी उसे कलेक्ट्रेट गार्डन में अकेला छोड़कर चला गया, जिसके बाद उसने अपने पिता को अपने बारे में बताया, तत्पश्चात सुबह लगभग 8:00 बजे पुलिस उसके परिवार के सदस्यों के साथ वहाँ पहुँची और उसे बरामद किया। अपने प्रतिपरीक्षण में भी उसने कथन किया है कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए थे। यद्यपि, उसके अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कलेक्ट्रेट गार्डन में पूरी रात लाइटें जलती रहती हैं और रात में वहाँ सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। यदि अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के साथ कोई जबरदस्ती की गई होती, तो वह शोर मचा सकती थी, किंतु उसने ऐसा नहीं किया।

15. पीड़िता की माता (अ.सा.–3) ने अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया है कि घटना की रात करीब 1:00 बजे पीड़िता उन्हें बताए बिना कहीं चली गई थी, जिसके कारण उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

कराई थी। इस तथ्य की पुष्टि अ.सा.–4 द्वारा भी हुई है, जो पीड़िता का चाचा है। इस प्रकार, पीड़िता, उसकी माता और चाचा के उक्त साक्ष्यों से यह साबित होता है कि घटना की तारीख को रात करीब 1:00 बजे पीड़िता अपने परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना घर से बाहर चली गई थी।

16. विकास सेन (अ.सा.–11A) ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि उसने पीड़िता के परिवार के सदस्यों को सूचित किया था कि उसने पीड़िता को किसी युवक के साथ कचहरी में घूमते हुए देखा था, किंतु उसने यह नहीं बताया कि वह युवक अपीलार्थी ही था। पीड़िता की माता, पिता, चाचा और चाची द्वारा भी यह साबित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी पीड़िता को अपने साथ ले गया था और उसका लैंगिक शोषण किया था। उन्होंने उक्त भौतिक तथ्यों के संबंध में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा दिए गए सुझावों से इनकार किया है, बल्कि वे उक्त तथ्यों के बारे में पूर्णतया पक्षद्रोही हो गए हैं।

17. डॉ. रिम्पल भाटिया (अ.सा.–9) ने घटना के दिन ही पीड़िता का परीक्षण किया था, परंतु उनके अभिसाक्ष्य के अनुसार, उन्हें पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के विषय में कोई निश्चित रुप से अभिमत नहीं दिया। यद्यपि एफ.एस.एल. रिपोर्ट में पीड़िता की योनि स्लाइड (वस्तु B), पीड़िता के अंतःवस्त्रों (वस्तु A) और अपीलार्थी के अंतःवस्त्रों (वस्तु C) में वीर्य और मानव शुक्राणु पाए गए थे, परंतु पीड़िता के अभिसाक्ष्य के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जो पीड़िता के इस कथन को साबित करे कि अपीलार्थी उसे अपने साथ ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यह तथ्य न्यायालय का विश्वास प्रेरित करने में भी असफल रहता है, क्योंकि पीड़िता के माता–पिता और अन्य नातेदारों ने भी यह साबित नहीं किया है कि पीड़िता ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। किसी भी अन्य साक्षी, यहाँ तक कि विकास सेन (अ.सा.–11A) ने भी यह कथन नहीं किया है कि पीड़िता को अपीलार्थी के कब्जे से देखा गया या बरामद किया गया था। बल्कि, बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श पी/1) के अनुसार, उसे कलेक्ट्रेट गार्डन, दुर्ग के परिसर से बरामद किया गया था। यद्यपि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29, अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 के अधीन किसी भी अपराध के किए जाने की उपधारणा प्रावधानित करती है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, परंतु इस उपधारणा को जागृत करने के लिए अभियोजन को कम से कम पीड़िता के अभिसाक्ष्य से विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे। किंतु यदि पीड़िता का अभिसाक्ष्य स्वयं ही न केवल विरोधाभासी पाया जाता है और न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं करता है, तो केवल उसके निराधार, अस्पष्ट और अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

18. **गणेशन विरुद्ध राज्य, द्वारा प्रतिनिधि निरीक्षक पुलिस, (2020) 10 एससीसी 573** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि लैंगिक अपराधों से संबंधित प्रकरणों में, यदि पीड़िता का परिसाक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है, तो न्यायालय बिना किसी संपुष्टि के अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. निर्मल प्रेम कुमार व अन्य विरुद्ध राज्य, द्वारा प्रतिनिधित्व पुलिस, (2024 आईएनएससी 193) के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतिगण ने उपरोक्त सिद्धांत को दोहराते हुए कण्डिका 15 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

> "15. उपरोक्त निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन प्रकरणों में साक्षी न तो पूर्णतया विश्वसनीय होते हैं और न ही पूर्णतया अविश्वसनीय, वहाँ न्यायालय को घटना के वास्तविक उद्गम का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। न्यायालय बिना किसी अतिरिक्त संपुष्टि के पीड़िता पर एक विश्वसनीय साक्षी के रूप में अवलंब ले सकता है, परंतु गुणवत्ता और विश्वसनीयता असाधारण रूप से उच्च होनी चाहिए। अभियोक्त्री का कथन प्रारंभ से अंत तक सुसंगत होना चाहिए (सामान्य विसंगतियों को छोड़कर), अर्थात प्रारंभिक कथन से लेकर मौखिक परिसाक्ष्य तक, जिससे अभियोजन के प्रकरण पर कोई संदेह उत्पन्न न हो। हालाँकि लैंगिक अपराध के प्रकरणों में सामान्यतः पीड़िता का परिसाक्ष्य पर्याप्त होता है, किंतु यदि अभियोक्त्री का विवरण अविश्वसनीय और अपर्याप्त है, तथा उसमें स्पष्ट त्रुटियाँ और अंतराल मौजूद हैं, तो दोषसिद्धि अभिलिखित करना कठिन हो सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि पीड़िता ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा बुलाए जाने पर वह उसके साथ कलेक्ट्रेट परिसर, दुर्ग के बगीचे में गई थी, जहाँ अपीलार्थी ने उसका लैंगिक शोषण किया, परंतु यह तथ्य इस न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं करता है। जैसा कि पूर्ववर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की जा चुकी है, परिस्थितियों के अनुसार पीड़िता के माता–पिता और अभियोजन के अन्य साक्षी उक्त तथ्य का समर्थन नहीं करते हैं और न ही इसे चिकित्सीय साक्ष्य से कोई समर्थन प्राप्त होता है। इसके बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल पीड़िता के अस्पष्ट और निराधार अभिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए अपीलार्थी को उसके व्यपहरण और लैंगिक शोषण के लिए दोषसिद्ध किया, जो कि दोषपूर्ण और अवैध पाया जाता है, अतः यह संधारणीय नहीं है।

21. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के दंडनीय अपराधों के लिए पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है। उसे अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों के दृष्टिगत, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमानत बंधपत्र आज से 06 माह की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे।

22. इस निर्णय की सत्यापित प्रति, संबंधित विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ, अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलंब प्रेषित की जाए।

सही/–

(नरेश कुमार चंद्रवंशी)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur